

# ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर केस सं0-41 / 2020-21

शेख हमीद बनाम् शेख मकसुद आलम वगै0

17-02-2023

—: आदेश :-

वर्तमान वाद आवेदक शेख हमीद, पे0-स्व0 शेख गुलजार, साकिन-घाट गम्हरिया, थाना-महागामा, अंचल-महागामा जिला-गोड्डा द्वारा समर्पित आवेदन, जो मौजा-घाट गम्हरिया नं0-767, जमाबंदी नं0-38, दाग नं0-181, रकवा 00-12-00 धूर भूमि से विपक्षी (1) शेख मकसुद आलम, (2) शेख आरीफ दोनों पे0-स्व0 शेख सोभान अली, (3) मौ0 चमनी, पति-स्व0 शेख सोभान अली सभी साकिन-घाट गम्हरिया, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा को उच्छेद करते हुए दखल दिलाने का अनुरोध को लेकर प्रारंभ किया गया। तदनुसार उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, महागामा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक-14/रा0, दिनांक-03.01.2023 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरान्त पाया कि प्रासंगिक विवादित भूमि का किस्म "कामत" है, जिसपर T.S. Case No-53/1967 (शेख तालीम अली बनाम करीमन अली वगै0) में दिनांक-30.03.1968 को आदेश पारित है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय से संभव है।

अतः आवेदक के आवेदन को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

(88)  
17-02-23

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

(88)  
17-02-23

अनुमंडल पदाधिकारी,  
महागामा।

Seen

Seen by  
Subhash Chandra Roy  
Adv.

Seen by  
18-02-2023  
Munim